मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक –248/165/18/18–6 भोपाल, दिनांक 12/02/2018

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
समस्त विकास प्राधिकरण,
एवं समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,

विषय :– नगर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में।

––00––

म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 50 (1) में नगर विकास योजनाओं को तैयार किया जाता है। शासन की अनुमति प्राप्त कर नगर विकास योजनाओं को अधिनियम की धारा 50 (7) में अंतिम रूप दिया जाता है। अधिनियम की धारा 56 में, धारा 50 (7) के पश्चात् 3 वर्ष तक भूमि करार द्वारा अर्जित करने का प्रावधान है परन्तु उससे चूक करने पर ऐसी भूमि को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उपबंधों के अधीन अर्जित करने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 54 में प्रावधान था कि यदि नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी धारा 50 के अधीन अंतिम स्कीम की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर नगर विकास स्कीम का कार्यान्वयन प्रारम्भ करने या उसका कार्यान्वयन पांच वर्ष की कालावधि के भीतर पूर्ण करने में असफल रहता है तो वह यथास्थिति, उपरोक्त दो वर्ष की या पांच वर्ष की कालावधि का अवसान होने पर व्यपगत हो जायेगी। परन्तु न्यायालयीन विवाद की स्थिति में विवादित समयसीमा को उपरोक्त गणना से मुक्त रखा जाएगा।

18/gml 21.2.18

अधिनियम की धारा 54 को म0प्र0 राजपत्र दिनांक 3 जनवरी 2012 द्वारा विलोपित किया जा चुका है।

सभी प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को अधिनियम की धारा 73 में निर्देशित किया जाता है कि :–

1. सभी प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यह परीक्षण करें कि ऐसी कितनी नगर की विकास योजनाएँ है जो अधिनियम की धारा 50 (7) में अंतिम रूप प्राप्त करने के पश्चात् भी अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, ऐसी योजनाओं को आगामी दो वर्ष में पूर्ण करने की कार्य योजना तैयार कर एक माह के अदंर संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल को प्रस्तुत किया जावें।

2. ऐसी योजनाओं का भी परीक्षण किया जाए, जो कि अधिनियम की धारा 50 (7) के अंतर्गत अंतिम रूप तो प्राप्त कर चुकी है, परन्तु उन योजनाओं में कोई भी कार्य नहीं हुए अथवा आंशिक कार्य ही हुए है। अतः इसके जो कारण है अथवा जो कठिनाईयॉ है उन्हें दूर करते हुए योजना को एक तय समय–सीमा में निष्पादन करने हेतु निर्धारित कार्य

3. ऐसी समस्त योजनाएँ जिनमें अधिनियम की धारा 50 (1) से 50 (7) तक की कार्यवाही की जाना है, उन योजनाओं में समय सीमा में कार्यवाही करते हुए अधिनियम की धारा 50 (7) तक की कार्यवाही पूर्ण की जावें।

4. शहर विकास योजना में विर्निदिष्ट सड़कों एवं अन्य शहरी अधोसंरचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने हेतु कार्य योजना तैयार की जावें।

5. जिन नगर–योजनाओं की प्रगति असंतोषजनक/अपूर्ण एवं न्यून है, ऐसी योजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय विश्लेषण कर, योजना समाप्ति का प्रस्ताव बोर्ड के माध्यम से शासन को प्रेषित करें बशर्ते ऐसी नगर योजनाओं की समाप्ति से नगर की विकास योजना पर प्रतिकूल प्रभाव न हो।

6. सभी प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ली जाने वाली समस्त योजनाओं SATELITE/GOOGLE BASEMAP/GIS Based ही बने ताकि स्थल की सही भौतिक स्थिति का आकंलन हो सकें। साथ ही, वित्तीय–आयोजना (ECONOMIC PLANNING) भी प्रत्येक योजना का भाग हो। नगर तथा ग्राम निवेश/स्थानीय–निकाय/जिला प्रशासन द्वारा दी गई अनुमतियॉ भी योजना मे इंगित हों। योजना के समग्र रूप से सफल होने हेतु पर्याप्त क्षेत्रफल पर नगर योजना ली जावें ताकि दीर्घकाल तक नगर विकास योजना का नियोजन क्रियान्वयन हो सकें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

(सी.के.साधव)
उप सचिव,
म0प्र0 शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

(1)

पृ0 कमांक –249/165/18/18–6 भोपाल, दिनांक 12/02/ 2018

प्रतिलिपि:–

1. संचालक, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, ई–5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

कार्यालय
नगर तथा ग्राम निवेश
आवक क्र. 1724
दिनांक 15/2/18
शाखा JD(A) वि.यो.

IMPORTANT.
JD Proj
JD TC